रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 1993/कार्तिक 8, 1915
No. 709] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 1993/KARTIKA 8, 1915

गृह मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1993

का.आ. 910(अ).— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 की सं. 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नवम्बर, 1993 के 29 वे दिन को उस तारीख के रूप मे नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 56 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. यू-11013/3/92-यू.टी.एल.]
आर.आर. शाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 1993

S. O. 910(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992), the Central Government hereby appoints the 29th day of November, 1993 as the date on which the provisions of section 56 of the said Act shall come into force.

[File No. U. 11013/3/92-UTL]

R. R. SHAH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993